झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–475 वर्ष 2015

1. फागू महतो
2. सोभन महतो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– कोई नहीं।

राज्य के लिएः– ए0पी0पी0।

आदेश सं0 07 दिनांकः 07 नवम्बर, 2017

1. याचिकाकर्त्ताओं के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

2. दिनांक 11.09.2017 के आदेश के अनुसरण में निचली अदालत अभिलेख प्राप्त किया गया है। चूंकि अभियोजन लगभग दो दशक पहले शुरू किया गया था, इसलिए यह आवेदन निपटाया जा रहा है।

3. यह आवेदन जी0आर0 वाद संख्या 37 वर्ष 1998 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–फास्ट ट्रैक कोर्ट (बलात्कार केस), देवघर द्वारा पारित दिनांक 28.01.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत और जिसके अधीन याचिकाकर्त्ता सं0 1 को आई0पी0सी0 की धारा 379 के अधीन दोषी

ठहराया गया है और याचिकाकर्त्ता सं0 2 को आई0पी0सी0 की धारा 341/323 के अधीन दोषी ठहराया गया है और दोनों को इस आशय का एक बंध पत्र प्रस्तुत करने के बाद छोड़ा गया है कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे।

4. संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि 20.01.1998 को लगभग 6:00–6:30 बजे, आरोपी व्यक्तियों ने सूचक के घर का निकास बंद करने का प्रयास किया और जब सूचक ने विरोध किया, तो आरोपी व्यक्तियों ने लाठी से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। याचिकाकर्त्ता सं0 2 ने सूचक के सिर पर लाठी से प्रहार किया था और जब गुलो महतो सूचक को बचाने के लिए आगे आया, तो कमल महतो ने उसके अग्रमस्तक पर लाठी से वार किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी फागू महतो ने सूचक की 700 रूपये की कलाई घड़ी छीन ली और लालजी महतो ने सूचक के चाचा बिनोद महतो पर भी प्रहार किया। पूर्वोक्त अभिकथन पर जसीडीह थाना काण्ड संख्या 09 वर्ष 1998 दर्ज किया गया, जिसमें अन्वेषण के बाद भा0 दं0 सं0 की धाराएँ 341, 323, 427, 504 एवं 34 के अधीन अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था और संज्ञान लिया गया था और मामला अभिलेख विचारण एवं निपटारा के लिए विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी को सौंपा गया था। विचारण के दौरान विद्वान दण्डाधिकारी ने पाया था कि याचिकाकर्त्ता सं0 1, फागू महतो के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 379 के अधीन मामला बनता है। बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ आई0पी0सी0 की धाराएँ 341, 323, 427, 504 के अधीन आरोप गठित किया था और आरोपी फागू महतो के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 379 के अधीन आरोप गठित किया गया था।

5. यद्यपि चार्जशीट में आठ गवाहों का नाम दिया गया था, लेकिन परीक्षण के दौरान केवल छह गवाहों को पेश किया गया था। अ0सा0 5 मदन प्रसाद उर्फ हीरा लाल यादव सूचक हैं जिन्होनें कहा है कि याचिकाकर्त्ता संख्या 1 ने उनके साथ मारपीट की। उन्होनें आगे कहा है कि जब गुलो महतो ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, तो कमल महतो ने भी लाठी से वार किया जिससे सिर में चोट लगी। उन्होनें आगे कहा है कि याचिकाकर्त्ता संख्या 1 ने उसकी 700 रूपये कीमत की कलाई घड़ी छीन ली। अ0सा0 2 पल्टन मिर्धा, अ0सा0 3 नागो लाल और अ0सा0 4 महेंद्र राउत ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। जहाँ तक अ0सा0 1 निरंजन देव का सवाल है, उन्हें उस घटना का चश्मदीद गवाह कहा जाता है, जिन्होनें इस घटना का समर्थन किया था और साथ ही सूचक के कब्जे से कलाई घड़ी छीनने का भी समर्थन किया था। अ0सा0 6 डॉ0 सुधीर प्रसाद जिन्होनें गुलो महतो एवं सूचक का परीक्षण किया था, ने गोलो महतो एवं सूचक के अग्रमस्तक पर चोट के निशान पाए थे और दोनों चोटों की रिपोर्ट साबित हुई और प्रदर्श 2 एवं 2/1 के रूप में प्रदर्शित की गई।

6. चूंकि गुलो महतो की जाँच नहीं की गई थी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने कमल महतो को उसके खिलाफ अभिकथित अपराध के लिए बरी कर दिया था। जहाँ तक याचिकाकर्त्ताओं का सवाल है, उनके विरूद्ध कहा गया था कि उन्होनें सूचक के सिर पर लाठी का प्रहार किया और साथ ही सूचक की कलाई घड़ी छीन ली। याचिकाकर्त्ता संख्या 1 को भा0दं0सं0 की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और याचिकाकर्त्ता संख्या 2 को भा0दं0सं0 की धारा 341 एवं 323 के

अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और अन्य अपराधों के संबंध में उन्हें बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा किए गए हमले के संबंध में रिकॉर्ड पर संगत साक्ष्य रहने के कारण जिसे चोट की रिपोर्ट और सूचक से कलाई घड़ी के छीनने के संबंध में मौखिक साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थन किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याचिकाकर्त्ताओं को अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, जैसा कि उपर उपदर्शित किया गया है।

7. इस तथ्य के मद्देनजर कि मुकदमा पिछले 16–17 वर्षों से लंबित था, याचिकाकर्त्ताओं को इस प्रभाव का बंध पत्र प्रस्तुत करने के बाद रिहा किया गया था कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे और वे अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे जब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत उन्हें बुलाया जाता है।

8. अन्यथा निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं होने पर यह आवेदन विफल होता है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)